न्यायालय जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट अनूपगढ़

पीठासीन अधिकारी : अवधेश मीना, आई.ए.एस.

प्र.सं. 13 / 2024

जी.सी.एस.एस. नं. : 2024 / 18

डा. रोमेल सिंह बनाम अमरजीत कौर आदि

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 235 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955

–:: निर्णय ::–

दिनांक :20.03.2024

प्रार्थी जरिए अधिवक्ता प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया कि अनवानी रामेल सिंह बनाम अमरजीत कौर आदि राजस्व वाद व धारा 212 रा.का.अधि. के तहत प्रार्थना पत्र न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, रायसिंहनगर में विचाराधीन हैं। प्रकरण में न्यायालय में तत्कालीन उपखण्ड अधिकारी रायसिंहनगर द्वारा बहस प्रार्थना पत्र सुनी गई थी तथा बाद बहस आदेश किए जाने से पूर्व ही तत्कालीन उपखण्ड अधिकारी महोदया का स्थानान्तरण हो गया। श्रीमान् जी द्वारा पुनः बहस सुनी जाकर पत्रावली में आदेश तारीख पेशी दी जानी विधि संगत थी, परन्तु बिना पुनः बहस सुने पत्रावली में आगामी तारीख आदेश हेतु मुकरर कर दी। प्रश्नगत भूमि अप्रार्थी अमरजीत कौर से एडवोकेट प्रविन्द्र कुमार ने जरिए बैयनामा दिनांक 20.04.2023 अवैध रूप से खरीद रखी हैं। एडवोकेट प्रविन्द्र कुमार स्थानीय वकील हैं वह स्वयं ही प्रकरण में अप्रार्थीगण की ओर से पैरवी कर रहे हैं ऐसी स्थिति में खरीददार एडवोकेट प्रविन्द्र कुमार द्वारा स्थानियता के कारण न्यायालय को प्रभावित करने की पूर्ण आशंका हैं। अतः उक्त वाद व प्रार्थना पत्र विधि सम्मत सुनवाई हेतु अन्यत्र अधीनस्थ न्यायालय में हस्तान्तरित करने के लिए निवेदन किया।

प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को तलब किया गया। अप्रार्थीया सं. 1 जरिए अधिवक्ता एतराज प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया कि प्रकरण में राजस्व मण्डल अजमेर द्वारा निगरानी / टी.ए. सं. 2450 / 2023 में दिनांक 25.05.2023 को रोमेल सिंह की निगरानी स्वीकार करते हुए अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी रायसिंहनगर में पत्रावली प्रतिप्रेषित कर प्रकरण को 30 दिन के अन्दर अन्दर आवश्यक रूप से निस्तारित करने व इस संबंध में रोमेल सिंह द्वारा कोई अवसर प्राप्त नहीं करने का आदेश दिया था। उक्त आदेश की पालना में अप्रार्थीया अमरजीत कौर द्वारा पूर्णतया जवाबदेही व लिखित बहस दिनांक 12.06.2023 को प्रस्तुत कर दी थी। प्रकरण दिनांक 12.07.2023 तक निर्णित किया जाना अनिर्वाय था। रोमेल सिंह का उद्देश्य प्रकरण में देरी व उलझाव पैदा करना है। प्रकरण में देरी करने के उद्देश्य से प्रार्थना पत्र पेश किया हैं। प्रार्थना पत्र निरस्त करने हेतु निवेदन किया।

पत्रावली का अवलोकन किया। प्रार्थी अधिवक्ता को प्रार्थना पत्र पर सुना गया। प्रार्थी अधिवक्ता ने प्रार्थना पत्र के संबंध में अधीनस्थ न्यायालय से टिप्पणी मंगवाए जाने के लिए निवेदन किया। प्रार्थना पत्र दिनांक 05.02.2024 को न्यायालय में प्रस्तुत हुआ हैं। प्रार्थी द्वारा निवेदन किया गया हैं कि अधीनस्थ न्यायालय के पीठासीन अधिकारी के द्वारा पूर्व में जिन पीठासीन अधिकारी द्वारा बहस सुनी गयी थी का स्थानान्तरण हो जाने पर भी पत्रावली पुनः बहस हेतु नियत नहीं कर आदेश हेतु नियत कर दी। प्रश्नगत भूमि अप्रार्थीगण अधिवक्ता की क्रयशुदा होने तथा अप्रार्थी अधिवक्ता स्थीनय होने के कारण न्यायालय को प्रभावित करने की पूर्ण आशंका हैं इस आधार पर प्रकरण अन्य न्यायालय को हस्तांतरित करने हेतु प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया हैं। इस पर अप्रार्थी की ओर से एजराज जाहिर किया गया हैं। अप्रार्थी की ओर से चित्रप्रति निर्णय माननीय राजस्व मण्डल राजस्थान, अजमेर की निगरानी टी.ए. सं. 2450 / 2023 रोमेल सिंह बनाम अमरजीत कौर आदि निर्णय दिनांक 25.05.2023 प्रस्तुत की गयी हैं। माननीय राजस्व मण्डल द्वारा निर्णय पारित करते हुए उपखण्ड अधिकारी रायसिंहनगर को निर्देशित किया गया कि वे अप्रार्थी को जवाब प्रस्तुत करने का अंतिम अवसर प्रदान कर स्थगन प्रार्थना पत्र पर आगामी पेशी तिथि से 30 दिवस के अन्दर अनिवार्य रूप से विधि अनुसार अंतिम निर्णय पारित करें। प्रकरण में तत्कालीन पीठासीन अधिकारी का स्थानान्तरण हो गया हैं। ऐसी स्थिति में [illegible] न्यायालय से टिप्पणी मंगवाया जाना न्यायालय की राय में उचित नहीं हैं। अतः प्रा[illegible]कार कर प्रकरण अन्य न्यायालय को हस्तांतरित किये जाने का कोई [illegible] के कारण प्रार्थना पत्र खारिज योग्य हैं।

अतः उपर्युक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अस्वीकार किया जा[illegible]

निर्णय मेरे द्वारा आज दिनांक [illegible]03.2024 को लिखवाया ज[illegible]ले न्यायालय में सुनाया गया।

Signature Not Verified
Digitally signed by Avdhesh Meena
Date: 2024.05.13 17:51:34 IST
Reason: SelfAttested

(अवधेश मीना)

जिला कलक्टर अनूपगढ़ I.A.S

कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट

अनूपगढ़

न्यायालय जिला कलक्टर अनूपगढ़ (राज.)